Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

▫ वर्ष- 28 ▫ अंक- 12 ▫ रायपुर, मंगलवार 4 फरवरी 2025 ▫ पृष्ठ-8 ▫ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की

बीजापुर, 4 फरवरी (हाईवे चैनल)। । बीजापुर जिले में संदिग्ध नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की गला रेतकर हत्या कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत बुड़गीचेरू गांव में संदिग्ध माओवादियों ने दो ग्रामीणों कारम राजू (32) और माड़वी मुन्ना (27) की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी है।

उन्होंने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली है कि सोमवार रात अज्ञात नक्सली गांव पहुंचे और उन्होंने दोनों ग्रामीणों की गला रेतकर हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली वहां से फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षाबलों को गांव के लिए रवाना किया गया है। इससे पहले, 26 जनवरी को बीजापुर के भैरमगढ़ इलाके में नक्सलियों ने 41 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार, पिछले साल बीजापुर समेत सात जिलों वाले बस्तर क्षेत्र में नक्सली हिंसा की अलग-अलग घटनाओं में 68 नागरिक मारे गए थे।

भाजपा महापौर प्रत्याशी का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जाति प्रमाण पत्र को लेकर घमासान

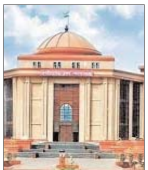

बसपा उम्मीदवार ने लगाई याचिका

बिलासपुर, 4 फरवरी (हाईवे चैनल)। न्यायधानी में बीजेपी मेयर प्रत्याशी की मुश्किलें बढ़ने लगी है. नगर निगम बिलासपुर से भाजपा महापौर प्रत्याशी एल पदमजा ऊर्फ पूजा विधानी की ओबीसी जाति प्रमाण पत्र का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. बहुजन समाज पार्टी के महापौर प्रत्याशी अकाश मौर्य ने हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन किया है. हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने आवेदन को पंजीकृत कर लिया है.

इस मामले को लेकर अधिवक्ता लवकुश साहू के माध्यम से पेश याचिका में कहा गया है कि भाजपा महापौर एल पदमजा विधानी के जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज आरओ द्वारा नहीं दिए जाने के खिलाफ बसपा प्रत्याशी आकाश मौर्य ने याचिका लगाई है. अर्जेंट हियरिंग का केस फाइल करते हुए दस्तावेजों की मांग की गई है. अर्जेंट हियरिंग में लगने के कारण मामले की सुनवाई आज हो सकती है. बता दें कि पूजा विधानी को भाजपा उम्मीदवार घोषित किए जाने एवं नामांकन दाखिल होने के बाद से जाति प्रमाण पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है. कांग्रेस ने इस मामले में उनके जाति प्रमाण पत्र को आंध्रप्रदेश का बताते हुए छत्तीसगढ़ में मान्य नहीं होने की बात कही थी. इस संबंध में निर्वाचन आयोग के समक्ष आपत्ति की गई थी. निर्वाचन आयोग ने आपत्ति को निरस्त कर दिया है. वहीं भाजपा की महापौर प्रत्याशी ने अपने ओबीसी के जाति प्रमाण पत्र को 1995 में नियम से बनाना बताया है. ऐसे में चुनाव के बाद भी उनका जाति प्रमाण पत्र के मुद्दा के समाप्त होने की संभावना कम है.

ब्रेकिंग न्यूज

प्रधानमंत्री मोदी 5 को प्रयागराज संगम में लगाएंगे डुबकी

नई दिल्ली, 4 फरवरी (न्यूज चैनल)। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान करने जा रहे हैं। यह यात्रा संगम के पास महाकुंभ मेले में मची भगदड़ के कुछ ही दिनों बाद हो रही है, जिसमें मौनी अमावस्या पर 'अमृत स्नान' के दौरान कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 60 लोग घायल हो गए थे। पीएम मोदी सुबह 10.05 बजे प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। वहां से वे 10.10 बजे डीपीएस हेलीपैड जाएंगे और उसके बाद 10.45 बजे एरियल घाट जाएंगे। सुबह 10-50 बजे वे एरियल घाट से नाव से महाकुंभ जाएंगे, जहां वे 11 से 11.30 बजे तक संगम घाट पर स्नान करेंगे। उनकी यात्रा में संतों से बातचीत, संगम में पवित्र डुबकी और महाकुंभ 2025 में भाग लेने वाले लाखों तीर्थयात्रियों के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा शामिल होने की उम्मीद है।

महाकुंभ में अफवाह फैलाने वाले 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर

नई दिल्ली, 4 फरवरी (न्यूज चैनल)। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ मेला पुलिस ने नेपाल की एक घटना को महाकुंभ का बताकर अफवाह फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। ब्रजेश कुमार प्रजापति नामक एक व्यक्ति ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) अकाउंट पर नेपाल में हुई एक घटना का वीडियो पोस्ट किया और इसे प्रयागराज महाकुंभ का वीडियो बताकर इसे अफवाह के रूप में फैलाया। इस पोस्ट में लिखा था, प्रयागराज महाकुंभ यानी मौत का महाकुंभ, और वीडियो में एक बड़ी भीड़ दिख रही थी जिसमें लोग मृतकों को कंधों पर ले जाते हुए नजर आ रहे थे। इस वीडियो की जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि यह घटना नेपाल में हुई थी, न कि महाकुंभ मेला में। इस वीडियो की सच्चाई का खुलासा महाकुंभ मेला पुलिस ने किया और सोशल मीडिया पर झूठी जानकारी फैलाने के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने ब्रजेश कुमार प्रजापति सहित 7 एक्स (ट्विटर) अकाउंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

अखिलेश यादव ने लोकसभा में उठाया महाकुंभ हादसे का मामला

नई दिल्ली, 4 फरवरी (न्यूज चैनल)। समाजवादी पार्टी (सपा) अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लोकसभा में महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने हादसे के पीड़ितों के आंकड़े छिपाए हैं। उन्होंने भाजपा को घेरते हुए पूछा कि आंकड़े दबाए और छिपाए क्यों गए? अखिलेश ने कहा कि महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए।

रेत से लदा एक हाईवा डिवाइडर से टकराया चालक-परिचालक स्टेयरिंग में फंसे

भिलाई में बड़ा हादसा

दुर्ग/भिलाई, 4 फरवरी (हाईवे चैनल)। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे रेत से लदा एक हाइवा छावनी सीएसपी कार्यालय के पास डिवाइडर से टकरा गया। दुर्घटना में हाइवा का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार चालक एवं परिचालक फंस गए।

जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 9 बजे, एक हाईवा सीजी 07 सीएन2697 सेक्टर 1 से नंदिनी की ओर जा रहा था। जैसे ही उसने ओवरब्रिज से नीचे उतरने का प्रयास किया, चालक का वाहन पर से नियंत्रण हट गया, जिससे वह सीधे डिवाइडर पर लगे लोहे के बड़े पोल से टकरा गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही छावनी पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। स्थानीय लोग भी राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए।

टक्कर की वजह से हाइवा का अगला भाग पूरी तरह अंदर धंस गया, जिससे चालक उसमें बुरी तरह फंस गया। साथ ही, परिचालक भी अंदर ही फंस गया था।स्थानीय लोगों की मदद से परिचालक को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन चालक अभी भी स्टेयरिंग में फंसा हुआ था। उसे बाहर निकालने के लिए छावनी पुलिस ने गैस कटर मंगवाया। एस.डी.आर.एफ दुर्ग संभाग के अनुसार छावनी ब्रिज, दुर्ग में एक ट्रक डिवाइडर से टकराकर खंभे में जा घुसा। ट्रक ड्राइवर ट्रक में फंस गया और जीवित था। जिला सेनानी श्रीमान नागेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर एस.डी.आर.एफ की टीम तुरंत घटनास्थल पर रवाना हुई। एस.डी.आर.एफ और अग्निशमन विभाग की संयुक्त टीम ने कड़ी मशक्कत कर ट्रक ड्राइवर को बाहर निकाला। घायल ड्राइवर को अस्पताल भेजा गया। टीम में टीम प्रभारी ईश्वर खरे सहित टीम सदस्य हेमराज मरावी, गोपी पाटिल, चंद्रप्रकाश, राजकुमार यादव, दिलीप कुमार, दिनेश चंद्राकर, इंद्रपाल, मुहम्मद अली मौजूद थे।

फर्जी एसीबी अधिकारी गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस को धमकाया

जांच में फर्जी निकला आईडी कार्ड

दुर्ग, 4 फरवरी (हाईवे चैनल)। जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के नाम पर लोगों और ट्रैफिक पुलिस को बेवकूफ बनाने वाले एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह आरोपी फर्जी आईडी कार्ड लेकर घूम रहा था. जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को धरदबोचा. फर्जी आईडी कार्ड जब्त कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात ऋचा मिश्रा ने बताया कि सोमवार को यातायात पुलिस का नेहरू नगर में चेकिंग प्वाइंट लगा था. ट्रैफिक पुलिस के जवान और अधिकारी वाहनों को चेकिंग कर रहे थे. इस दौरान एक फिगो कार (सीजी 05एबी7335) को रोकने का प्रयास किया तो चालक आगे बढ़ने लगा. जब आगे पुलिस कर्मियों ने उसे घेरा तो उसने कार को रोका और पुलिसवालों को धमकाने लगा. उसने खुद को एसीबी का अधिकारी बताया और पुलिस कर्मियों को फर्जी आईडी कार्ड भी दिखाया. पुलिस कर्मियों ने आईडी कार्ड की फोटो एएसपी ट्रैफिक ऋचा मिश्रा को भेजी. जांच में पाया गया कि वो आईडी कार्ड फर्जी है. वाहन चालक ने अपना नाम सन्नी जैन निवासी शांति नगर सुपेला निवासी बताया. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को पुलिस को गुमराह करने के अपराध की श्रेणी होने पर उसके वाहन को जब्त किया और उसे जेल भेजा. बता दें कि इससे पहले भी दुर्ग जिले में फर्जी ईडी के अधिकारी बनकर एक गिरोह ने दुर्ग के बड़े व्यापारी को 2 करोड़ रुपए का चूना लगाया था. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

प्रत्याशी की हत्या की कोशिश कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा हमलावर

पेंड्रा, 4 फरवरी (हाईवे चैनल)। लोकसभा और विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा गहमागहमी स्थानीय चुनाव यानी पंचायत चुनाव में देखने को मिलती है, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में कुछ अलग तरह की घटनाएं हो रही है। बात तो अब अपहरण और हमले तक आ गई है। ताजा मामला गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले से सामने आया है। यहां जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी रत्नेश तिवारी पर हमले की कोशिश की गई। शिकायत पर पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार पूरा मामला पेंड्रा के पतगवां गांव का है। जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 5 के प्रत्याशी रत्नेश तिवारी ने रिपोर्ट लिखाई कि वह अपने घर के पास समर्थकों के साथ चुनावी चर्चा कर रहा था। इसी दौरान मोहल्ले का रहने वाला दुर्गेश कश्यप पिता सुरेश कश्यप कुल्हाड़ी लेकर दौड़ते हुए आया और पुरानी रंजिश पर गाली-गलौज करते हमला कर दिया। गनीमत रही कि वहां मौजूद लोगों ने दुर्गेश को पड़ककर कुल्हाड़ी छीन लिया और बीच बचाव किया। इस घटना में रत्नेश बाल-बाल बच गए। रत्नेश तिवारी ने पुलिस को बताया कि आरोपी दुर्गेश ने उनके का भतीजे पर हमले की कोशिश की। उनकी स्कूटी भी क्षतिग्रस्त हुई है। इस मामले में पेंड्रा थाने में आरोपी दुर्गेश कश्यप के खिलाफ बीएनएस एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है।

चुनाव से पहले आतिशी के खिलाफ एफआईआर

समर्थक ने पुलिस को मारा थप्पड़

नई दिल्ली, 4 फरवरी (न्यूज चैनल)। विधानसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले, दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को दो मामले दर्ज किए - एक, दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए और दूसरा मामला उनके समर्थकों के खिलाफ एक पुलिस अधिकारी पर कथित रूप से हमला करने के लिए। पुलिस ने बताया कि सत्तारूढ़ आप के दो सदस्यों - अश्मित और सागर मेहता - को मंगलवार रात करीब 1 बजे गोविंदपुरी पुलिस स्टेशन के हेड कांस्टेबल पर बाधा डालने और हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

कालकाजी से आप उम्मीदवार आतिशी ने दिल्ली पुलिस की आलोचना करते हुए दावा किया कि उन्हें अपने प्रतिद्वंद्वी भाजपा के रमेश बिधूड़ी के खिलाफ आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन करने के लिए बोलने की सजा दी जा रही है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और दिल्ली पुलिस दोनों पर बिधूड़ी की अनदेखी करने का आरोप लगाया, आतिशी ने एक्स से कहा चुनाव आयोग भी कमाल है! रमेश बिधूड़ी जी के परिवार के सदस्य खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैंने शिकायत दर्ज कराई और पुलिस और ञ्चश्वष्टद्धस्ङ्कश्वश्वक्क को फोन किया, और उन्होंने मेरे खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। हालांकि, पुलिस ने कहा कि आतिशी ने दस वाहनों और करीब साठ समर्थकों के साथ फतेह सिंह मार्ग पर पहुंचकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया। पुलिस के अनुसार, जब उनसे जाने के लिए कहा गया, तो उन्होंने मना कर दिया। इस बीच, आतिशी ने एक्स से कहा कि दिल्ली पुलिस ने दो लोगों को अवैध रूप से हिरासत में लिया, जो एमसीसी उल्लंघन की रिपोर्टिंग कर रहे थे और उसका वीडियो बना रहे थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि एमसीसी का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।

चूहा- सुनती हो, पीएम मोदी कल 5 फरवरी को महाकुंभ स्नान करेंगे।

चुहिया- हां जी, मांगेंगे दिल्ली के लिए आशीर्वाद!

कवासी लखमा की रिमांड खत्म आज कोर्ट में पेश

रायपुर, 4 फरवरी (हाईवे चैनल)। शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड खत्म होने पर आज उन्हें ईडी की स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।

बता दें कि छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान ईडी को कई अहम दस्तावेज मिले थे। पूछताछ के बाद ईडी ने कवासी लखमा को 15 जनवरी को गिरफ्तार किया था। ईडी का आरोप है कि, पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक कवासी लखमा सिंडिकेट का अहम हिस्सा थे। लखमा के निर्देश पर ही सिंडिकेट काम करता था। इनसे शराब सिंडिकेट को मदद मिलती थी। वही शराब नीति बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिससे छत्तीसगढ़ में एफएल-10 लाइसेंस की शुरुआत हुई।

अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या पहुंची कोर्ट याचिका पर हाईकोर्ट ने गूगल को भेजा नोटिस!

नई दिल्ली, 4 फरवरी (न्यूज चैनल)। बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन सबसे चर्चित स्टार किड्स में से एक हैं। आराध्या को बाकी स्टार्स किड्स की तरह कम ही अकेले स्पॉट किया जाता है। हालांकि वह मम्मी ऐश्वर्या राय के साथ अक्सर किसी-न-किसी इवेंट में नजर आती हैं। हाल ही में ऐश ने आराध्या ने दिल्ली हाई कोर्ट में फ ि?र से नई याचिका दाखिल की है।

इस याचिका में आराध्या ने दरखवास्त की कि उनकी हेल्थ को लेकर अलग-अलग वेबसाइट पर चल रही फेक और भ्रमित करने वाली जानकारी कई पोर्टल्स पर अब तक मौजूद है जिसे जल्द से जल्द हटाया जाए। याचिका पर कोर्ट की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। नई अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गूगल, बॉलीवुड टाइम और अन्य वेबसाइटों को नोटिस भेजा है। इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन ने अपने पिता अभिषेक बच्चन की मदद से अप्रैल 2023 में कोर्ट में मामला दर्ज करवाया था। कोर्ट में दर्ज मामले में यूट्यूब पर आराध्या की फेक वीडियो और जानकारी वायरल होने की शिकायत की गई थी। हाई कोर्ट ने अंतरिम ऑर्डर के जरिए यूट्यूब से आराध्या की हेल्थ पर चल रहे फेक वीडियो और भ्रमित करने वाली जानकारी को रोकने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने गूगल को भी तुरंत इस मामले से जुड़े वीडियो को डीएक्टिवेट करने का आदेश दिया था।